विदेशी संपत्तियों और आय पर कर पारदर्शिता बढ़ाना: सी.आर.एस. और एफ.ए.टी.सी.ए. को समझना

A. सी.आर.एस. और एफ.ए.टी.सी.ए. का उद्देश्य

इस वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि करदाता अपनी वैश्विक आय और संपत्तियों का सटीक प्रकटीकरण करें, कर पारदर्शिता और अनुपालन अत्यंत आवश्यक हो गया है। **सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सी.आर.एस.)** और **विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफ.ए.टी.सी.ए.)** ऐसे अंतरराष्ट्रीय ढांचे हैं जिन्हें दुनिया भर के कर अधिकारियों के बीच पारदर्शिता और सहयोग बढ़ाकर कर चोरी से निपटने के लिए तैयार किया गया है।

सी.आर.एस., ओ.ई.सी.डी. की एक पहल है, जिसके तहत वित्तीय संस्थानों के लिए विदेशी निवासियों के वित्तीय खातों की जानकारी उनके संबंधित कर क्षेत्राधिकारों को रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। इसके बाद वार्षिक रूप से इस जानकारी का अन्य क्षेत्राधिकारों के साथ आदान-प्रदान किया जाता है। इसी तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अधिनियमित **एफ.ए.टी.सी.ए.**, विदेशी वित्तीय संस्थानों को अमेरिकी करदाताओं के खातों की जानकारी आई.आर.एस. को रिपोर्ट करने का आदेश देता है।

B. भारत द्वारा प्राप्त जानकारी

सी.आर.एस. और एफ.ए.टी.सी.ए. व्यवस्था के अंतर्गत, भारत को विदेशी क्षेत्राधिकारों में अपने निवासियों द्वारा धारित वित्तीय खातों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसमें खाताधारक का नाम, पता और कर पहचान संख्या (टिन), खाता संख्या और शेष राशि, तथा आय का विवरण जैसे ब्याज, लाभांश और अन्य वित्तीय लाभ शामिल हो सकते हैं।

सी.आर.एस. डेटा संरचना के अंतर्गत, जानकारी में खाता संख्या, खाताधारक; नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति (वे व्यक्ति जिनका संस्था पर अंतिम नियंत्रण होता है) के विवरण शामिल हो सकते हैं (लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं), जिसमें निवासी देश का कोड, कर पहचान संख्या, नाम, पता, राष्ट्रीयता, जन्म की जानकारी; खाते की शेष राशि; और भुगतान के प्रकार जैसे ब्याज, लाभांश, सकल आय/प्रतिदान और अन्य विवरण शामिल हैं।

एफ.ए.टी.सी.ए. डेटा संरचना के अंतर्गत, जानकारी में खाता संख्या, मुद्रा कोड और खाते से जुड़े संस्था के प्रकार यानी व्यक्तिगत या संगठन, भुगतान का प्रकार - ब्याज, लाभांश, सकल आय/मोचन और अन्य; भुगतान राशि सहित विवरण शामिल हो सकते हैं (लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं)। व्यक्तिगत प्रकार में निवासी देश का कोड, कर पहचान संख्या (टिन – भारत के मामले में PAN), नाम, पता, राष्ट्रीयता और जन्म की जानकारी हो सकती है। संगठन प्रकार में निवासी देश का कोड, पहचान संख्या (टिन, सी.आई.एन., यू.एस.-आई.आर.एस. द्वारा आवंटित जी.आई.आई.एन, ग्लोबल ई.आई.एन या अन्य हो सकती है), नाम और पता हो सकता है।

यह जानकारी आयकर विभाग को अपने निवासी करदाताओं की वैश्विक आय जानने और उन करदाताओं की पहचान करने में सहायता करती है जिन्होंने अपनी विदेशी संपत्तियों और आय की रिपोर्ट नहीं की होगी।

C. भारतीय कानून के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताएं

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निवासियों के लिए अपनी आयकर विवरणी (आई.टी.आर.) में अपनी विदेशी संपत्तियों और आय की रिपोर्ट करना आवश्यक है। विशेष रूप से, आई.टी.आर. फ़ॉर्म में अनुसूची FA (विदेशी संपत्तियां) विदेशी संपत्तियों की रिपोर्ट करने के लिए है, और अनुसूची FSI (विदेशी स्रोत आय) विदेशी स्रोतों से आय की रिपोर्ट करने के लिए है। इसके अतिरिक्त, करदाता ऑनलाइन फ़ॉर्म 67 के साथ अनुसूची TR (कर राहत) फ़ाइल करके विदेश में भुगतान किए गए करों पर कर राहत का दावा कर सकते हैं।

विदेशी संपत्तियों और आय की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर कर-निर्धारण किया जा सकता है और साथ ही **काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्तियां) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015** के तहत सख्त दंड और अभियोजन भी हो सकते हैं। कानूनी परिणामों से बचने के लिए करदाताओं के लिए इन नियमों का अनुपालन करना अत्यंत आवश्यक है।

D. कर विवरणी में पारदर्शिता के लाभ

1. **अनुपालन और सुशासन:** अपनी वैश्विक आय घोषित करने और कर विवरणी में विदेशी संपत्तियों की रिपोर्ट करने में पारदर्शिता एक करदाता की अनुपालन और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे कर अधिकारियों के साथ विश्वास बढ़ता है और अनावश्यक जांच से बचा जा सकता है।
2. **कानूनी सुरक्षा**: विदेशी संपत्तियों और आय का पूर्ण प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करता है कि करदाताओं पर प्रासंगिक कानूनों के तहत दंड और कानूनी कार्रवाई का जोखिम न रहे।
3. **कर राहत का दावा करना**: सटीक रिपोर्टिंग करदाताओं को भारत के बाहर भुगतान किए गए करों पर कर राहत का दावा करने की अनुमति देती है, जिससे दोहरे कराधान को रोका जा सकता है और उनकी कर देनदारियों को अनुकूलित किया जा सकता है।
4. **राष्ट्रीय विकास में योगदान:** कर की सही राशि का भुगतान करना और वैश्विक आय घोषित करना राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन उपलब्ध हो।

E. विवरणी में विदेशी संपत्तियों और आय की रिपोर्टिंग

आयकर विवरणी में अनुसूची FA/ FSI/ TR भरकर, करदाता:

- सभी विदेशी संपत्तियों और आय का पूर्ण और सटीक प्रकटीकरण सुनिश्चित कर सकता/सकती है
- गैर-प्रकटीकरण के लिए कर-निर्धारण, दंड और अन्य कानूनी परिणामों से बच सकता/सकती है
- भारतीय कर कानूनों और डी.टी.ए.ए के प्रावधानों के तहत किसी भी पात्र कर राहत का लाभ उठा सकता/सकती है।

यह करदाता के कर मामलों में अनुपालन और पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में एक सक्रिय कदम है।

F. संशोधित विवरणी फ़ाइल करने का अवसर

यदि करदाता अपनी मूल आई.टी.आर में अपनी विदेशी संपत्तियों और आय की रिपोर्ट करने में विफल रहा है/रही है, तो एक संशोधित विवरणी फ़ाइल करके इसे सुधारने का अवसर है। आयकर विभाग करदाताओं को संशोधित विवरणी फ़ाइल करके किसी भी चूक या अशुद्धियों को ठीक करने की अनुमति देता है। यह उल्लेख करना सार्थक है कि विवरणी

में अनुसूची एफ.ए. को भरने के लिए उचित विवरणी फ़ॉर्म का चयन आवश्यक है। आई.टी.आर-1 और आई.टी.आर-4 में अनुसूची एफ.ए. नहीं होती है, इसलिए करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे संशोधित विवरणी फ़ाइल करते समय अनुसूची FA भरने के लिए आई.टी.आर-1 और आई.टी.आर-4 के अलावा अन्य विवरणी फ़ॉर्म भरें। ए.वाई. 2025-26 के लिए संशोधित विवरणी 31.12.2025 तक फ़ाइल की जा सकती है।

G. निष्कर्ष

आयकर विभाग का उद्देश्य करदाताओं को सी.आर.एस. और एफ.ए.टी.सी.ए. के तहत रिपोर्ट की गई विदेशी संपत्तियों और आय की रिपोर्ट करने के उनके दायित्व की याद दिलाना है। इन आवश्यकताओं का पालन करके और कर विवरणी में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करके, करदाता कानूनी परेशानियों से बच सकते हैं, राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सकते हैं और एक स्पष्ट विवेक बनाए रख सकते हैं।